न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ.टी.सी./न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र सं0–85एम/2022

राजवीर बनाम हरद्वारी लाल आदि।

अं0 धारा 156(3) दं0प्र0सं0

थाना माधौटाण्डा, पीलीभीत।

दिनांकः02.11.2022

पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। प्रार्थी राजवीर के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण हरद्वारीलाल आदि के विरूद्ध थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र में संक्षेप में कथन है कि–उसके घर के सामने खडण्जे पर पड़ी मिट्टी को लेकर विपक्षीगण से कहा सुनी हो गयी थी इसी से हरद्वारीलाल रंजिश मानने लगा और दिनांक 07.10.2022 को विपक्षीगण अपने–अपने हाथों में लाठी, डण्डा, चाकू व बंका लेकर उसके घर में घुस आये और मां–बहन की गालियां देने लगे, मना किया तो चारों ने उसे लात घूसों, लाठी, डंडा व बंका से मारा पीटा और एक कमरे में बंधक बनाकर काफी मारापीटा। मोहल्ले के लोग आ गये जिन्होंने सारा वाक्या देखा व उक्त लोगों के चुंगल से बचाया। प्रार्थी को मारपीट में काफी चोटें आयीं हैं। प्रार्थी थाने रिपोर्ट लिखाने गया किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना–पत्र की प्रति, डाक रसीद व आधार कार्ड को दाखिल किया है।

थाना आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकरण में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी, विपक्षीगण से भलीभांति परिचित है। प्रार्थी द्वारा अपने व अपने साथ की गयी मारपीट के सम्बंध में कोई चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी को घटना के समस्त तथ्य ज्ञात हैं, जिन्हें वह न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य के माध्यम से साबित कर सकता है। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार के हैं कि यदि मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये तो भी न्याय की उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लेते हुए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **गुलाब चन्द उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य 2002 (1) जेआईसी 853 माननीय उच्च न्यायालय** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि प्रार्थना–पत्र अं0 धारा–156 (3)दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है एवं **मो0 यूसुफ बनाम श्रीमती इश्हाक जहां 2006 (54) एसीसी 530(एस.सी.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था के प्रकाश में, प्रार्थना–पत्र अं0 धारा–156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अं0 धारा–156 (3)दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज कर, अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी राजवीर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता परिवाद के रूप में दर्ज हो।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 29.11.2022 को पेश हो।

(निधि सागर)
सिविल जज(जू0डि0)/एफ.टी.सी./
न्यायिक मजिस्ट्रेट,पीलीभीत।
02.11.2022